न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 38 / 2024
3. उनवान : सोहन दास पुत्र श्री गोपाल दास, जाति स्वामी, निवासी– ग्राभ भैंसलाना, किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर, राज.। –अपीलांट

बनाम

तहसील ार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान –रेस्पॉडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 21-08-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक अपीलांट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि ग्राम भैसलाना के खसरा नंबर 867 के बाबत पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर तहसीलदार कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 / 09 / 2024 पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई। निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20 / 09 / 2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के मुकदमा सं0 49 / 2024 निर्णय दिनांक 20 / 09 / 2024 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौरान्ने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को बिना मौके पर गए एवं बिना जांच के केवल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। अधिवक्ता के वकालतनामा एवं उपस्थित होने के पश्चात जवाब का समय पर्याप्त माने जाने के पश्चात भी केवल मात्र 9 दिन में ही तीन बार तारीख देते हुये बिना जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये ही अपना निर्णय देने में विधि विरुद्ध कार्यवाही की है। अपीलान्ट ने प्रकरण चालू होने से पूर्व ही तहसीलदार को उक्त भूमि से संबंधित एक विस्तृत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2024 को एवं उक्त भूमि का 190 वर्ष पूर्व का पट्टा पेश कर दिया था। तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल ने उक्त 9 दिन में तीन बार तारीखों पर स्वयं राजकीय कार्य में व्यस्त होते हुये ही तारीखे प्रदान की एवं तीसरी पेशी पर कार्यालय समय के पश्चात आकर निर्णय पारित करने में विधि विरुद्ध कार्यवाही की है। प्रार्थी स्वर्गीय भौमदास स्वामी के चेले हैं तथा संत भौमदास

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

के चेले बुधरामदास थे, उनके चेले हरिदास थे जो दादू पंथी सम्प्रदाय में जिस साधु संत का निधन होता है, उसको अपने निवासित स्थान के पास ही अग्नि दी जाती है तथा उसके बाद उस पर चबुतरा बना दिया जाता है तथा चबुतरे पर चरण चौकी की स्थापना की जाती है जिस पर पुजा अर्चना की जाती है इसलिए दादू सम्प्रदाय के निवासित स्थान पर चरण चौकियों के लिए जमीन ज्यादा निर्धारित की गई है। प्रार्थी द्वारा जिस स्थान पर निवास का मकान बनाया जा रहा है उस स्थान पर पहले से कच्चे मकानात स्थित थे उनके स्थान पर पुख्ता मकान का निर्माण किया जा रहा है। खसरा नम्बर 861 व 867 दोनों लगवा है, इस जमीन में दादूपंथी ही निवास करते है तथा जो दादूपंथी मरता है, उसका चबूतरा अर्थात चरण चौकी बनाई जाती है। इस प्रकार उक्त दोनो खसरा नम्बरान 861 व 867 दादूपंथी परिवार के लिए निवासित तथा चरण चौकी स्थापित करने के स्थान है जिस पर परिवार सहित भंवरदास स्वामी, हनुमानदास स्वामी, बजरंगदास स्वामी, नौरतनदास स्वामी, ओमप्रकाश दास स्वामी, कल्याणदास स्वामी, गोपालदास स्वामी, जयप्रकाश दास स्वामी उक्त जमीन में निवास कर रहे है। उक्त भूमि वर्ष 1899 में भूमि श्री सीताराम जी सहाय देवी सिंह जी द्वारा प्रदत्त है, जिसमें दिशाएं भी अंकित हैं। यह भूमि मात्र दादूपंथी लोगों के लिए आरक्षित है। अन्य समाज अथवा समुदाय का श्मसान नहीं है। इस प्रकार यह तथ्य गलत है कि उक्त जमीन श्मशान की है बल्कि दादूपंथी लोग निवास स्थान व दादूपंथी सम्प्रदाय के लोगों के लिए ही क्रियाकर्म की रस्म व उनके चरण के लिए ही आरक्षित है। राजस्व ग्राम भैसलाना के खसरा नम्बर 861 व 867 की जमीन दादूपंथी परिवार के निवास व समाधि स्थल की जमीन है। इस जमीन का पट्टा श्री सीतारामजी सहायदेवी सिंह द्वारा सम्वत 1899 अर्थात 190 वर्ष पहले दिया हुआ है। जिसमें दिशाऐं, रहवास और समाधि स्थल स्थित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03/09/2024 को अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जे बाबत रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर धारा 91 का प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के जवाब प्रस्तुत ना करने की स्थिति में तथा अपीलांट के अतिक्रमी पाये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 20/09/2024 पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक दोष नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट का कथन है कि उक्त भूमि दादूपंथी सम्प्रदाय को वर्ष 1899 में प्रदत्त की गई थी। उक्त हेतु अपीलान्ट द्वारा तत्समय का हस्तलिखित पट्टे की प्रति पेश की गई है। विवादित भूमि का पट्टा श्री सीमाराम जी सहाय देवी सिंह जी द्वारा प्रदान करने का तथ्य परिलक्षित होता है। यद्यपि उक्त लिखत में खसरा नंबर आदि का वर्णन नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का भैंसलाना एवं भू0अ0नि0 भैंसलाना द्वारा ग्राम भैंसलाना के खसरा नं0 867 रकबा 0.8093 हैक्टेयर मे से 0.0126 हैक्टेयर भूमि किस्म गै0मु0 श्मशान पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 06/09/2024 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा नोटिस जारी किये गये। अपीलांट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11/09/2024 को वकालतनामा पेश हुआ। तत्पश्चात दिनांक 20/09/2024 को प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जबकि पूर्व में ही अपीलांट मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो चुके थे। अपीलांट का पक्ष सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। अतः न्यायालय का मत है कि प्रकरण में अपीलांट को अपना पक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत एवं विधि अनुकूल प्रतीत होता है। मौके पर कई रिहायशी मकान हैं, जो पुराने बने हुए हैं। सम्पूर्ण रिकॉर्ड का अवलोकन तथा मौके का निरीक्षण कर पक्ष सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के स्तर पर अपेक्षित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर